राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः–प.9(30)गृह–5/2016 जयपुर दिनांकः–08.04.2022

–:दिशा–निर्देशः–

राज्य में विभिन्न धार्मिक त्यौहार/जयन्ती/शोभायात्रा/प्रदर्शन/सार्वजनिक कार्यक्रम/जुलूस आदि के शांतिपूर्वक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण में आयोजन एवं इन कार्यक्रमों से आयोजन से आमजन को कोई असुविधा नहीं हो, इस हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. सार्वजनिक कार्यक्रम/शोभायात्रा/प्रदर्शन के सम्बन्ध में आयोजक निर्धारित प्रारूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र पेश करेंगे।
2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के पश्चात्, प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करेंगे।
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करते समय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 6(06)कानून–व्यवस्था/2018–22/471 दिनांक 30.03.2022 (प्रति संलग्न) में वर्णित बिन्दुओं एवं समय–समय पर इस विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखेंगे।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम, 1964 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखेंगे।
5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम की आज्ञा निर्धारित प्रारूप में प्रदान करेंगे।
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना–पत्र की निस्तारण की सूचना सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त को देंगे।

उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत एवं विधिक प्रावधानों में कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, गृह विभाग, राजस्थान।
3. संभागीय आयुक्त जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा।
4. महानिरीक्षक पुलिस रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर लेख है कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करावें।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त।
8. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर।

(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव

आयोजन का आवेदन पत्र

क्रस	विवरण	टिप्पणी
1.	**आयोजक / आयोजकों का विवरण (आवेदनकर्ता)** i. नाम ii. पिता/माता का नाम iii. मोबाईल नम्बर iv. वर्तमान पता v. स्थाई पता vi. जनआधार/आधार कार्ड नम्बर व प्रति **यदि आयोजक किसी संस्था से सम्बन्धित है–** i. संस्था का नाम ii. आयोजक का संस्था से सम्बन्ध iii. संस्था का पता iv. संस्था का रजिस्ट्रेशन का विवरण v. दूरभाष नम्बर	–
2.	**आयोजन का प्रकार** धार्मिक त्योहार ☐ शोभायात्रा ☐ राजनैतिक प्रदर्शन ☐ जुलूस ☐ सांस्कृतिक ☐ गैर–राजनैतिक प्रदर्शन ☐ जयन्ती ☐ सार्वजनिक कार्यक्रम ☐ अन्य ☐	–
3.	**आयोजन की दिनांक व समय** i. आयोजन प्रारम्भ होने की दिनांक व समय : ii. आयोजन समाप्त होने की दिनांक व समय :	–
4.	**आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या**	–
5.	**आयोजन में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों का विवरण** i. विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या ii. विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों नाम	–
6.	**आयोजन गुजरने वाले मार्ग का विवरण**	

7.	**क्या परम्परागत मार्ग में इस वर्ष कोई बदलाव है, यदि हां, तो बदलाव के कारण**	हां/नहीं
8.	**क्या आयोजन में डी.जे. का प्रयोग किया जायेगा, हाँ/नहीं** **यदि हाँ तो:–** i. डीजे मालिक का नाम व पता ii. वाहन का प्रकार एवं रजिस्ट्रेशन संख्या iii. मोबाईल नम्बर iv. जनआधार/आधार कार्ड नम्बर व प्रति v. डीजे में बजने वाले विषय सामग्री का विवरण	हां/नहीं
9.	**आयोजन में सम्मिलित होने वाले स्वयं सेवकों/कार्यकर्ताओं का विवरण** i. स्वयं सेवकों की संख्या ii. नाम iii. मोबाईल नम्बर	–

आयोजक/संस्था प्रधान
के हस्ताक्षर मय दिनांक

शपथ–पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती..... आयु....., निवासी..... का रहने वाला/वाली हूँ, शपथग्रहिता ने आयोजन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न कथन करता/करती है–

1. यह कि शपथग्रहिता .....(संस्था का नाम, यदि आयोजक संस्था हो) का ..... (पदाधिकार) हूँ।
2. यह कि आयोजन/कार्यक्रम शांतिपूर्वक होगा, आयोजन में कोई हथियार जो पूर्णतः प्रतिबन्धित है, का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
3. यह कि जिस स्थान पर आयोजन किये जाने की अनुमति प्राप्त हुई है, उस स्थान पर ही आयोजन किया जायेगा।
4. यह कि जिस मार्ग पर आयोजन के गुजरने की अनुमति प्राप्त हुई है, उस मार्ग का ही प्रयोग किया जायेगा।
5. यह कि प्रदर्शन को नियंत्रित किये जाने हेतु प्रत्येक जंक्शन पर स्वयं सेवक/कार्यकर्ता उपस्थित किये जायेंगे।
6. यह कि आयोजन में कोई उत्तेजनात्मक या किसी की धार्मिक या अन्य भावनाओ को ठेस पहुचाने वाले कृत्य नहीं किये जायेंगे।
7. यह कि उक्त आयोजन से राज्य सरकार या किसी व्यक्ति को कोई वित्तीय/मानसिक/शारीरिक क्षति/हानि होती है, तो उसके लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ली जायेगी।
8. यह कि कानून व्यवस्था बनाये रखने वाली संस्थाओं यथा पुलिस एवं प्रशासन के निर्देशों की अक्षरशः पालना की जायेगा।

हस्ताक्षर

शपथ पत्र के पैरा संख्या 1 से 8 में वर्णित तथ्य सही है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान :– **हस्ताक्षर**
दिनांकः–

आयोजन की अनुमति प्रदान करने वाले समक्ष प्राधिकारी की चैक लिस्ट

क्रसं	विवरण	टिप्पणी
1.	आयोजन (रैली/जुलूस/प्रदर्शनी इत्यादि) का प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण कर प्रस्तावित मार्ग के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील/अतिसंवेदनशील क्षेत्र की समीक्षा रिपोर्ट	–
2.	वर्तमान में उक्त संवेदनशील क्षेत्र की आसूचना संकलन रिपोर्ट	–
3.	क्या पूर्व में आयोजित उक्त रैली/जुलूस/प्रदर्शन/धार्मिक आयोजन के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित हुई है ? यदि हां तो विवरण	हां / नहीं
4.	बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 के मध्यनजर संवेदनशीलता के आधार पर प्रस्तावित मार्ग की सक्षम अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट	–
5.	आयोजन के संबंध में क्षेत्र के सीएलजी/शांति समिति/प्रबुद्ध नागरिकों की आयोजकों के साथ हुई बैठकों की संख्या ?	–
6.	उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण	–
7.	आयोजन की अनुमति में उल्लेखित शर्तो की पालना हेतु पाबंद किया गया है अथवा नही	–
8.	क्या डीजे की अनुमति व इसमें उपयोग किये जाने वाली विषय सामग्री की जांच कर ली गई है ?	हां / नहीं
9.	डीजे सेट पर नियोजित पुलिस कर्मी का नाम व मोबाइल नम्बर	–

(71)

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–म–6(06) कानून–व्यवस्था/2018–22/47। दिनांक: 30-3-2022

1.पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
2.समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
3.समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
4.समस्त उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर।

विषयः–आगामी समय में आयोजित होने वाले धार्मिक त्यौंहार, पर्व, मेले एवं जयन्तीयों के दौरान कानून–व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में।

राज्य के विभिन्न जिलों में माह अप्रेल–मई, 2022 में विभिन्न मेले, त्यौंहार, पर्व एवं जयन्तीयों (चेटीचंड, हिन्दु नव वर्ष, रामनवमी, नवरात्रा, जमातुलविदा, गुड फाईडे, हनुमान जयन्ती, महावीर जयन्ती, ईदुल–फितर) आदि के दौरान विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम/ जुलूस/ शोभायात्राओं का आयोजन किया जाता है। उक्त कार्यक्रमों के दौरान पूर्ण शान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ–साथ कानून–व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है:–

- आपके क्षेत्राधिकार में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों/ जुलूस/ शोभायात्राओं एवं मेलों के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस जाब्ता नियोजित किया जावे।
- उक्त अवसरों पर निकाले जाने वाले जुलूस / शोभायात्राओं एवं मेलों के स्थानों/मार्गो को चिन्हित किया जावे एवं पूर्व से निर्धारित मार्गो से ही जुलूस/शोभायात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की जावे। यथा सम्भव नये स्थानों/मार्गो की अनुमति नहीं दी जाये।
- मिश्रित आबादी वाले स्थानों से होकर निकलने वाले जुलूस/ शोभायात्राओं के मार्गो का अवलोकन किया जाये तथा साम्प्रदायिक व जातिगत आधार पर संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जावे।
- जुलूस/यात्रा निकाले जाने के संबंध में पूर्व से समुदाय विशेष/सी.एल.जी. एवं शान्ति समितियों के सदस्य, राजनैतिक

Scanned with CamScanner

एवं सामाजिक गणमान्य व्यक्तियों तथा आयोजकों की मिटिगं बुलाई जाकर उनसे विचार विमर्श कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि इस दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके साथ ही आयोजकों की ओर जुलूस/शोभायात्रा के दौरान व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्वयं सेवकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

- आयोजकों द्वारा मेला/जुलूस/शोभायात्रा आदि के आयोजन की नियमानुसार प्रशासन से पूर्व स्वीकृति लेने के उपरान्त ही कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
- मेलों, जुलूस/शोभा यात्रा के दौरान आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिगं की व्यवस्था की जाये तथा फिक्स पिकेट्स लगाये जाये साथ ही मार्ग के आस-पास, उँचे भवनों पर पुलिस बल तैनात किया जाये।
- इस संबंध में समय-समय पर जुलूस/रैली आदि कार्यक्रम के संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये थाना स्तर पर आसूचना तन्त्र को सकिय किया जाये और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचना से तुरन्त उच्च अधिकारियों व नियन्त्रण कक्ष को अवगत कराया जाये।
- मेलों, जुलूस/शोभायात्रओं व अन्य कार्यक्रमों के दौरान पुलिस जाब्ते के माध्यम से इनकी विडियाग्राफी करायी जाये साथ ही यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सीसीटीवी कैमराज को चालू एवं ठीक हालात में हो यह सुनिश्चित किया जाये। बड़े मेलों, जुलूस/शोभायात्राओं के दौरान ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया जाये।
- इस प्रकार के आयोजनों में डी.जे.बजाने की स्वीकृति कम से कम दी जाये एवं ध्वनी प्रदूषण अधिनियम की शक्ति से पालना करवाई जावे। डी.जे. को नियन्त्रित करने वाले व्यक्ति के साथ आवश्यकता हो तो एक पुलिसकर्मी की तैनात की जावे ताकि डी.जे. का किसी भी तरीके से माहौल खराब करने में उपयोग से रोका जा सके साथ ही सम्बन्धित थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी क्षेत्र के सभी डी.जे. मालिकों की एक मिटिगं बुलाकर उन्हें लिखित में निर्देश प्रदान करें कि उनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन नहीं किया जायेगा व आपत्तिजनक गाने, नारे के लिए डी.जे. का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बोर्ड की परीक्षाओं तथा तय समय सीमा

Scanned with CamScanner

को ध्यान में रखते हुए डी.जे. का प्रयोग किया जाये। यदि उनके द्वारा प्रावधानों का उल्लघंन किया जायेगा तो उनके विरूद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

- ❖ ऐसे अवसरों पर जेब कतरे व चेन स्नेचर अधिक भीड़ का लाभ उठाकर अपनी कार्यवाही को अंजाम देते है। अतः इनके विरूद्ध पूर्व से निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- ❖ जुलूस/यात्रा, मेलों एवं अन्य कार्यक्रमों के पूर्ण होने के उपरान्त लोगों के वापस घर लौटते समय असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता/छेड़छाड़ आदि की घटना नहीं हो इसके लिये मोटर साईकिल गश्त, पुलिस पिकेट्स लगाई जाकर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ❖ यथा सम्भव यह प्रयास किया जाये कि जुलूस/शोभायात्रा अन्धेरा प्रारम्भ होने तक तय सीमा में समाप्त हो जाये। यदि यह सम्भव नहीं हो सके तो जुलूस/शोभायात्रा के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त संख्या में ड्रेगन लाईट मौजूद हो, जिसे आवश्यकता के समय प्रयोग में लिया जा सके।
- ❖ प्रायः यह पाया गया है कि जुलूस/शोभायात्रा के प्रथम व अन्तिम छोर के बीच काफी अन्तर रहने के कारण अन्तिम छोर अनदेखा रह जाता है, जिसके कारण यह आवश्यक है कि अन्तिम छोर के साथ पुलिस वाहन में पुलिसकर्मी मौजूद रहें जिनके पास समुचित संख्या में प्रकाश की व्यवस्था हो और जुलूस के अन्तिम छोर को सुरक्षित रूप से गन्तव्य तक पहुँचाये।
- ❖ जुलूस/शोभायात्रा के दौरान लगाये जाने वाले पुलिस बल को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर सुनिश्चित किया जाये कि जुलूस के समापन के पश्चात् भी शोभायात्रा के मार्ग में कुछ समय तक पुलिस बल तैनात रहे तथा पुलिस पैट्रोलिगं जारी रखी जाये।
- ❖ इन आयोजनों के दौरान आने वाली भीड़ को नियन्त्रण करने हेतु आप स्वयं अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस बल को ब्रिफिगं व डी-ब्रिफिगं दी जावे। उक्त आयोजनों के दौरान सभी पुलिस कर्मियों द्वारा हैलमेट, जैकेट (Body Protector) आदि धारण किये जाये इसके अतिरिक्त रिजर्व जाप्ता तैयार रखा जावे। रिजर्व जाब्ते के साथ दंगा-निरोधी

Scanned with CamScanner

उपकरण (लाठी, ढाल, जैकिट एवं हथियार आदि) हो तथा प्रशिक्षित जवानों को ही हथियार उपलब्ध कराये जावे।

❖ मेला, जुलूस, शोभायात्राओं व अन्य कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति से समय-समय पर पुलिस नियन्त्रण कक्ष को अवगत कराया जाये।

9/22

(डॉ० हर्षसिंह घुमरिया)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशासन, कानून-व्यवस्था,
राज०जयपुर।

Scanned with CamScanner